

कार्यालय वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत  
पत्रांक 873 /14-1, पीलीभीत, दिनांक- 09/11/2023  
(बनकटी रोड, पीलीभीत- 262001)

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,  
उ०प्र० लखनऊ।

विषय-

कार्योपरान्त स्वीकृत (Ex-post facto) हेतु जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत इण्डियन ऑयल कार्पो० लि० द्वारा बीसलपुर-बिलसंण्डा मार्ग संख्या 62 पी०ए० के चैनेज 5.924 से 5.959 दौयी पटरी पर ग्राम-ईटगांव तहसील-बीसलपुर जिला-पीलीभीत में स्थित खसरा/गाटा संख्या-821 में रिटेल आउटलेट/पेट्रोल पम्प की स्थापना हेतु संरक्षित वन भूमि 0.114123 हे० संरक्षित के गैर वानिकी प्रयोग व 01 वृक्ष के पातन/ट्रान्सप्लान्ट की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ-

पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग-2 का पत्रांक-8वी/यू०पी०/06/267/2022/एफ०सी०/243 दिनांक-26.05.2023 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक- 3354/ 11सी-FP/UP/Others/30687/2017 date 29-05-2023 एवं प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत के कार्यालय का पत्रांक 1217/15-1 दिनांक- 30.10.2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में सानुरोध अवगत कराना है कि विषयक प्रकरण में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत द्वारा अपने कार्यालय के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा निम्न प्रकार कर दिया गया है।

अतः निराकरण के उपरान्त प्रस्ताव/अभिलेख 03 प्रतियों में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

शर्त संख्या	शर्त	शर्त के सापेक्ष अनुपालन आख्या
01	02	03
1	Revised Geo-referenced map of the proposed C.A. Land परिवेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।	Revised Geo-referenced map of the proposed C.A. Land परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

भवदीय,

*dk*  
(विजय सिंह)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।

पत्रांक /अ-दिनांकित।

प्रतिलिपि- वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली को सूचनार्थ एवं इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त प्रस्ताव को वृत्त स्तर से ऑनलाइन करने का कष्ट करें।

प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सा०वा० प्रभाग, पीलीभीत को उनके कार्यालय के उक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ एवं इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव को वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, बरेली वृत्त बरेली के कार्यालय से ऑनलाइन कराते हुए प्रस्ताव की तीनों प्रतियां मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र० लखनऊ के कार्यालय में विशेष पत्रवाहक के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(विजय सिंह)

वन संरक्षक/फील्ड डायरेक्टर,  
पीलीभीत टाइगर रिजर्व वृत्त पीलीभीत।